भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2900

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2024

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के लिए निधि

†2900. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019-20 से मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस) के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में वर्ष-वार और जिला-वार कितने जनजातीय छात्र लाभान्वित हुए हैं;
(ख) क्या उक्त योजना के लिए निधि का आवंटन 2020-21 से कम कर दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या वर्ष 2022-23 में कोई निधि जारी नहीं की जा सकी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) वर्ष 2023-24 में जारी और उपयोग की गई निधि की स्थिति क्या है और वर्ष 2024-25 के लिए कितनी निधि प्रस्तावित है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवेदन आमंत्रित करने, छात्रों का सत्यापन करने और निधियां जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2019-20 से 2022-23 तक जिले-वार और वर्ष-वार लाभार्थियों की कुल संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना एक मांग आधारित, खुली योजना है, इसलिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ पाने का हकदार है। संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय अंश उनसे प्राप्त मांग/प्रस्ताव के साथ-साथ अन्य अपेक्षित दस्तावेजों/अनुपालन के आधार पर जारी किया जाता है। नीचे दी गई तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में बजट अनुमान के तहत आवंटन में कमी नहीं आई है, हालांकि राज्यों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक मांग के आधार पर संशोधित अनुमान आवंटन में कमी की गई है।

राशि करोड़ रुपए में

वित्तीय वर्ष	**बजट अनुमान (ब.अ.)**	**अंतिम आवंटन**	**वास्तविक व्यय**
2019-20	340.00	440.00	439.99
2020-21	400.00	250.00	248.90
2021-22	400.00	394.14	394.14
2022-23	419.00	357.30	357.30
2023-24	411.63	308.61	308.60
2024-25	440.36	-	जारी

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 2019-20 से आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के अंतर्गत केंद्रीय अंश निधियों की आगे की निर्मुक्ति नीचे तालिका में दी गई है:

वित्तीय वर्ष	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश को जारी किया गया केंद्रीय अंश (लाख रुपए में)
2019-20	736.32
2020-21	1433.81
2021-22	3935.06
2022-23	0.00
2023-24	5700.16

(ग): आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एसएनए (व्यय विभाग द्वारा अनिवार्य) का अनुपालन न किए जाने के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में निधि जारी नहीं की जा सकी।

(घ): वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 5700.16 लाख रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया गया था। जैसा कि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में तालिका में देखा जा सकता है । मंत्रालय के पास वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (जो 09.12.2024 को प्राप्त हुई है) के आधार पर राज्य सरकार को जारी करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं, । निधियों को जारी करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र, एसएनए अनुपालन, एसएनए खाते में राज्य का अंश जमा करना और प्रस्तुत लाभार्थी आंकड़ों (डेटा) की जांच करना अपेक्षित है।

अनुलग्नक-I

क्र.सं.	ज़िला	वर्ष-वार लाभार्थियों की संख्या			
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	अनंतपुर	3737	1774	2321	1229
2	चित्तूर	3571	1776	2060	854
3	पूर्वी गोदावरी	6728	2927	4117	352
4	गुंटूर	5390	2723	3367	1112
5	कडपा	1512	695	856	589
6	कृष्णा	2960	1574	1734	567
7	कुरनूल	2014	849	1139	459
8	नेल्लोर	3323	1807	2198	2233
9	प्रकाशम	2508	1211	1515	1114
10	श्रीकाकुलम	4307	1909	2460	1317
11	विशाखापत्तनम	13030	5240	8234	593
12	विजयनगरम	5768	2616	3566	814
13	पश्चिम गोदावरी	3019	1575	1797	314
14	अल्लूरी सीतारामा राजू				11221
15	अनकापल्ली				950
16	अन्नमय्या				1073
17	बापतला				1061
18	एलुरु				1827
19	काकीनाडा				469
20	कोनासीमा				265
21	मन्याम				4050
22	नांदयाल				840
23	एनटीआर				1295
24	पालनाडु				2112
25	श्री सत्य साईं				1267
26	तिरुपति				2488
	कुल	**57866**	**26676**	**35364**	**40465**

नोट: वर्ष 2022-23 से 13 नये जिले बनाये गये हैं।

*****